DR.BACHHA KUMAR RAJAK
B.M.COLLEGE RAHIKA MADHUBANI
B.COM PART-I

# स्वीकृति सम्बन्धी वैधानिक नियम

अधिनियम की कुछ धाराओं तथा इस सम्बन्ध में दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर प्रस्ताव के स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम हैं :

(1) प्रस्ताव की स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है (An offer be accepted only by the person to whom it is made)—प्रस्ताव को स्वीकृत करने का अधिकार केवल उसी व्यक्ति को है जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दी गयी स्वीकृति वैश नहीं होती। पावेल बनाम ली के विवाद में वादी पावेल एक स्कूल के प्रधान अध्यापक के पद के उम्मीदवार थे। श्री पावेल का साक्षात्कार (interview) स्कूल के मैनेजिंग बोर्ड द्वारा हुआ। साक्षात्कार के बाद बोर्ड के व्यक्ति ने गुप्त रूप से पावेल को उनकी नियुक्ति की सूचना दे दी। बाद में बोर्ड ऑफ मैनेजमेण्ट की राय बदल गयी और उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेण्ट की अधिकृत सूचना के अभाव में ऐसी सूचना को स्वीकृति नहीं माना जा सकता। बौल्टन बनाम जोन्स के विवाद में इस बात को स्पष्ट किया गया है। इस विवाद में एक व्यापारी ने अपना कारोबार अपने मैनेजा वोल्टन को बेच दिया, परन्तु उसने इसकी सूचना अपने ग्राहकों को नहीं दी। कारोबार वेचे जाने के बाद उसी दिन शाम को एक ग्राहक जोन्स ने, जो कि पहले ही से मूल व्यापारी से कारोवार करता था, कुछ वस्तुओं को खरीदने के लिए विक्रेता के व्यक्तिगत नाम से एक आर्डर भेजा। नये मालिक बौल्टन ने विना यह बताये हुए कि कारोवार का स्वामित्व बदल गया है, ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि बौल्टन जोन्स से मूल्य वसूल करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यह प्रस्ताव कारोबार के पुराने मालिक के सम्मुख रखा गया था, बौल्टन के सामने नहीं। अतः बौल्टन द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करना कोई महत्व नहीं रखता। न्यायाधीश ने कहा, "यदि कोई व्यक्ति 'अ' के साथ अनुबन्ध करने का विचार रखता है तो 'ब', 'अ' के लिए किये गये प्रस्ताव के अधीन कोई अधिकार नहीं रखता।"

(2) स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए (Acceptance must be absolute and unconditional)—प्रस्ताव की स्वीकृति पूर्णरूप से और बिना शर्त के होनी चाहिए। राजनियम की दृष्टि में, सशर्त स्वीकृति कोई स्वीकृति नहीं है। प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की प्रत्येक बात के अनुकूल और असंदिग्ध होनी चाहिए। यह असंदिग्धता ही अनुबंध के पक्षकारों के मध्य मतैक्य का प्रमाण होती है। यदि प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है तो मतैक्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार वैध स्वीकृति के लिए प्रस्ताव की सभी शर्ते स्वीकृत होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्ताव से स्वीकृति भिन्न होने पर स्वीकृति एक प्रति-प्रस्ताव बन जाती है और ऐसी स्वीकृति उस समय तक नहीं मानी जायेगी जब तक कि मूल प्रस्तावक द्वारा वह स्वीकृत न हो जाय।

जॉर्डन बनाम नॉर्टन (1838) के मामले में नॉर्टन ने जॉर्डन की घोड़ी निश्चित मूल्य पर तथा घोड़ी के जोते जाने पर स्वस्थ तथा शान्त स्वभाव की होने पर खरीदने का प्रस्ताव किया। जॉर्डन ने निश्चित मूल्य को स्वीकार कर लिया अर्थात् प्रथम शर्त मान ली। उसने यह आश्वासन भी दिया कि घोड़ी स्वस्थ है तथा दूसरे साज के साथ जोते जाने पर शान्त रहती है। इस प्रकार उसने दूसरी शर्त—'स्वस्थ और शान्त' 'दूसरे साज के साथ जोते जाने पर शान्त' बताकर बदल दिया। इसलिये उसकी स्वीकृति व्यर्थ हो गयी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस प्रकार की स्वीकृति मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि जॉर्डन ने नॉर्टन के प्रस्ताव के बदले एक दूसरा ही नया प्रस्ताव नॉर्टन के सम्मुख रख दिया।

(3) स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा निश्चित किये हुए ढंग से होनी चाहिए (Usual and reasonable manner)—स्वीकृति सामान्यतया उचित ढंग से होनी चाहिए। यदि प्रस्तावक स्वीकृति किसी 'नियत विधि' के अनुसार चाहता है तो उसकी स्वीकृति उसी नियत विधि के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर प्रस्ताव पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिला हो, तो स्वीकार करने का सामान्य तथा उचित ढंग इस प्रस्ताव का उत्तर पोस्ट ऑफिस द्वारा उचित समय के भीतर देना ही होगा। यदि प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव की स्वीकृति तार द्वारा मांगी है, तो स्वीकृति तार द्वारा ही होनी चाहिए, किन्तु यदि प्रस्तावक उचित समय के भीतर इस बात का आग्रह न करे कि प्रस्ताव नियत विधि के अनुसार ही स्वीकृत होना चाहिए, तब प्रस्तावक उस स्वीकृति से जो कि 1 If person intends to contract with 'A', 'B' cannot give himself any right under the offer to A.